बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–2/नियुक्ति–07/2025–1689(2) /स्वा०, पटना, दिनांक–20/07/2026

विज्ञापन संख्या–**13/2025** के विरुद्ध बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों (विशेषज्ञ चिकित्सकों) को बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी **(हड्डी रोग)** मूल कोटि के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान के 11वें स्तर के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से परिवीक्षा पर पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित स्थल/संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

S.n	Application No	Candidate Name	Father's Name	Date of Birth	Selection Category	Home District	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OR0001976	SIJAL RIVI	BIJAY KUMAR	15-Dec-88	UR	BHAGALPUR	SDH, MASAURHI, PATNA
2	OR0001090	ZIAUL HODA SHAAN	AHASANUL HODA	8-Jun-89	UR	DARBHANGA	SDH, JAYNAGAR, MADHUBANI
3	OR0001494	MANISH KUMAR	SHIVAJI JHAKHARAIT	6-Jan-91	UR	MADHUBANI	SDH, PALIGANJ, PATNA
4	OR0003112	RAJA ANURAG GAUTAM	CHANDRA BHANU SHARAN	18-Jun-85	UR	NALANDA	SDH, BARH, PATNA
5	OR0001425	PAPPU KUMAR	SIKENDRA BHAGAT	5-Mar-85	UR	PURNIA	SDH, BARSOI, KATIHAR
6	OR0001114	RAVI KUMAR AMRIT	RAM EKBAL PRASAD	13-Mar-93	UR	SIWAN	SH, CHHAPRA, SARAN
7	OR0002283	AKSHAT SUMAN	AMULYA KUMAR SINGH	9-Jun-94	UR	PATNA	SH, HAJIPUR, VAISHALI
8	OR0002623	PRIYAM PANCHANAN	BASANT KUMAR PANCHANAN	20-Dec-95	UR	PATNA	SDH, MAHUA, VAISHALI
9	OR0001431	SUSHIT KUMAR SONU	KRISHNANAND TIWARI	2-Mar-96	UR	SARAN	CHC, MAHNAR, VAISHALI
10	OR0001335	PIYUSH	SHARADINDU KUMAR PRANESH	3-Jan-97	UR	PATNA	CHC, HULASGANJ, JEHANABAD

11	OR0002211	SUSHIL KAMAL	BAJRANGI PRASAD	21-Aug-89	UR	AURANGABAD	SH, ROHTAS
12	OR0000462	RAHUL ANAND	RAMESH CHANDRA SINGH	2-Aug-90	UR	MADHUBANI	SH, SITAMARHI
13	OR0000007	VIKASH KUMAR DUBEY	BIR BAHADUR DUBEY	16-Mar-93	UR	BUXAR	SH, KAIMUR
14	OR0002970	VINIT VIVEK	KRISHNA KUMAR SINGH	15-Sep-89	UR	EAST CHAMPARAN	SDH, NARKATIAGANJ, WEST CHAMPARAN
15	OR0000366	NIHAL NIHAL	NAND KUMAR SINGH	18-Feb-94	UR	VAISHALI	SH, SAMASTIPUR
16	OR0002461	AMAN KUMAR	ARVIND KUMAR SINGH	25-Apr-95	UR	SAMASTIPUR	PHC, TETIYA BAMBAR, MUNGER
17	OR0000081	VISHAL KUMAR SINGH	SATYENDRA NARAYAN SINGH	29-May-95	UR	AURANGABAD	SH, GAYA (JAI PRAKASH NARAYAN HOSP.)
18	OR0001961	RAHUL	DAYA NAND MISHRA	19-Feb-96	UR	PATNA	SDH, BENIPUR, DARBHANGA
19	OR0000498	ARVIND KUMAR ANAL	RAM NARESH SINGH	8-Dec-88	BC	SAMASTIPUR	SH, SIWAN
20	OR0001457	RANDHIR KUMAR	HARI BALLABH PODDAR	12-Apr-90	UR-BH	SUPAUL	SH, MADHUBANI
21	OR0003692	VIVEKANAND KUMAR	LATE SARYU PRASAD	5-Feb-91	UR-BH	PURNIA	SDH, SHERGHATI, GAYA
22	OR0001209	BINIT DIWAKAR	VIRENDRA KUMAR VERMA	1-Jan-89	UR-BH	PATNA	SH, EAST CHAMPARAN
23	OR0001397	SANNY KUMAR SINGH	ANIL KUMAR SINGH	21-Jan-89	BC	SARAN	CHC, PIRO, BHOJPUR
24	OR0003234	ABHISHEK KUMAR	UMESH PRASAD	22-Mar-98	UR-BH	BHAGALPUR	SDH, TARAPUR, MUNGER
25	OR0001639	ANKIT PRAKASH	JAI PRAKASH	2-Feb-95	UR-BH	NAWADA	CHC, PHULWARISHARIF, PATNA
26	OR0002203	UMESH PRASAD	YOGENDRA MAHTO	2-Feb-88	BC	SAMASTIPUR	SH, JEHANABAD
27	OR0000467	MANISH KUMAR SAW	D K SAW	19-Feb-94	EBC	LAKHISARAI	SH, SAHARSA

28	OR0001281	SHUBHAM KUMAR	BINOD KUMAR	5-Sep-98	BC	NAWADA	SH, JAMUI
29	OR0000642	NIKESH KUMAR	ABHINANDAN YADAV	22-Jan-90	BC	BHAGALPUR	SH, BANKA
30	OR0000564	RAJNISH KUMAR	RAJ KISHOR SINGH	1-Mar-90	EWS	PATNA	SH, HAJIPUR, VAISHALI
31	OR0000105	AKHILESH KUMAR SHARMA	SURESH SHARMA	31-Jul-96	EBC	SIWAN	CHC, KAKO, JEHANABAD
32	OR0000362	RAJEEV KUMAR	RAM KISHUN SHAH	6-Jun-85	EBC	BEGUSARAI	SH, PATNA (GURUGOVIND SINGH)
33	OR0002455	MANISH KUMAR	YOGENDRA SINGH	23-Aug-88	BC	VAISHALI	SDH, DANAPUR, PATNA
34	OR0003159	AMIL MD ARSHIL AZIM	SADIQE MD ANSARI	30-Apr-87	EBC	PATNA	SDH, TEKARI, GAYA
35	OR0000491	ABHISHEK PRATAP SINGH	ANIL KUMAR SINGH	15-Jul-93	EWS	SIWAN	SH, GOPALGANJ
36	OR0002677	YOGESH KUMAR	KIRAN KUMAR SINGH	16-Feb-91	EWS	KHAGARIA	SDH, KAHALGAON, BHAGALPUR
37	OR0003106	MASURAJ ATAL BIHARI MANDAL	MAHESHWAR MANDAL	2-Jan-91	EBC	MADHUBANI	CHC, BAHADURPUR, DARBHANGA
38	OR0000560	ADARSH KISHORE SINGH	SACHINAND SINGH	10-Dec-93	EWS	SAMASTIPUR	SH, SITAMARHI
39	OR0000853	SUBODH KUMAR	KAMESHWAR PRASAD VERMA	25-Jan-88	BC	PATNA	GOVT. DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, PAITHNA, BHAGANBIGHA, RAHUI, NALANDA
40	OR0002229	RAMASHEKHAR SUMAN	SUDHANSHU SHEKHAR SAHA	10-Dec-87	EBC	BHAGALPUR	SH, KHAGARIA
41	OR0000144	RAHUL RAJ	RAM SWARTH SINGH	21-Jul-96	BC	PATNA	SH, ARWAL
42	OR0002109	MUKESH KUMAR	GAJENDRA PRASAD YADAV	10-Jan-83	BC	PURNIA	SH, ARARIA
43	OR0002491	SUSHOBHIT	SURENDRA PRASAD	14-Jan-89	EBC	BANKA	SDH, NAUGACHHIA, BHAGALPUR

44	OR0001408	VISHAL KUMAR SHARMA	DILIP PRASAD SHARMA	23-Jan-87	EBC	MUNGER	SH, LAKHISARAI
45	OR0002264	RANJAY KUMAR	KAILASH VISHWAKARMA	11-Jan-90	EBC	GAYA	SDH, DAUDNAGAR, AURANGABAD
46	OR0001286	VIKASH KUMAR	SHANKAR PRASAD ROY	5-Aug-90	EBC	SAHARSA	SH, SUPAUL
47	OR0002361	YASH CHOUDHARY	SHANKAR CHOUDHARY	7-Jun-98	SC	BHAGALPUR	CHC, KASBA, PURNEA
48	OR0001120	RAJ KUMAR	RAMJEE SAH	11-Aug-83	EBC	SARAN	SH, SIWAN
49	OR0002915	ANSHU ARYAN	ABHAY KUMAR	28-Oct-91	EBC	SIWAN	SDH, HATHUA, GOPALGANJ
50	OR0000791	AJINKYA GAUTAM	ASHOK KUMAR GAUTAM	30-Oct-94	SC	BHAGALPUR	SH, MUNGER
51	OR0002758	AJEET KUMAR	JAIKANT PRASAD CHAURASIA	2-Apr-89	WBC-M	WEST CHAMPARAN	SH, EAST CHAMPARAN
52	OR0000268	KUSHAGRA GARG	KRISHNA KUMAR DUBEY	22-Jun-91	EWS	VAISHALI	SDH, MARHAURA, SARAN
53	OR0002572	SANJEEV KUMAR	VISHNUDEV SAH	1-Jun-88	WBC-M-BH	VAISHALI	SH, MUZAFFARPUR
54	OR0000406	PANKAJ KUMAR	RAM NAGINA	31-Dec-91	SC	GOPALGANJ	SDH, BAGAHA 1, WEST CHAMPARAN
55	OR0001714	SHAKIL AHMAD	MOHAMMAD BASHIR AHMAD	25-Oct-92	WBC-M-BH	SIWAN	SH, GOPALGANJ
56	OR0002464	SUSHIL KUMAR	LATE BINDESHWARI RAJAK	6-Mar-93	SC	MADHEPURA	SDH, HILSA, NALANDA
57	OR0001869	AMARESH KUMAR	BHUPAL PRASAD MANDAL	2-Jul-88	ST	BHAGALPUR	SDH, BANMANKHI, PURNEA
58	OR0000938	ASHISH KUMAR PASWAN	PRAMOD KUMAR PASWAN	15-Apr-92	SC	SUPAUL	SDH, PHULPARAS, MADHUBANI
59	OR0002895	RANDHIR KUMAR	KRISHNA KUMAR SINGH	18-Oct-86	EWS	GOPALGANJ	SDH, RAXAUL, EAST CHAMPARAN
60	OR0003580	ABHISHEK KUMAR	PASHUPATI THAKUR	6-Feb-91	EWS	MUZAFFARPUR	SH, BEGUSARAI

61	OR0001282	PRASHANT PANDEY	MANOJ KUMAR PANDEY	15-Jul-97	EWS	ROHTAS	SH, BUXAR
62	OR0000326	ABHIMANYU KUMAR	AMRENDRA KUMAR	25-Dec-92	SC	BHAGALPUR	PHC, ASARGANJ, MUNGER
63	OR0000195	NISCHAY KAUSHIK	UMESH KUMAR	17-Aug-93	SC	DARBHANGA	CHC, MOTIPUR, MUZAFFARPUR
64	OR0002118	ABHIPRAY CHAUDHARY	KUMAR AMRENDRA CHAUDHARY	21-Dec-96	SC	PATNA	SH, SHEIKHPURA
65	OR0002457	NEERAJ KUMAR CHAUDHARY	NAND KISHORE CHAUDHARY	1-Dec-88	SC	PATNA	CHC, SANGRAMPUR, MUNGER
66	OR0001338	PREMJIT KUMAR	RAJENDRA CHOUDHARY	2-Mar-86	SC	SAHARSA	SDH, RAJGIR, NALANDA
67	OR0002721	ALOK KUMAR BHAGAT	JYOTISH PRASAD BHAGAT	21-Jan-84	SC	KATIHAR	SH, KISHANGANJ
68	OR0001068	SHALU GUPTA	CHHOTELAL GUPTA	3-Nov-89	UR-F	SITAMARHI	SH, SAMASTIPUR
69	OR0001233	JAY RAJ	MOTI LAL DAS	26-Dec-93	SC	PATNA	SH, SHEIKHPURA
70	OR0002585	SIKANDAR RAJAK	GOVIND RAJAK	13-Sep-94	SC	JAMUI	SDH, HAVELI KHARAGPUR, MUNGER
71	OR0000616	ABHISHEK KUMAR	BISHWANATH PASWAN	26-May-96	SC	MUZAFFARPUR	SH, SHEOHAR
72	OR0001399	DEV PRAKASH	SURESH PRASAD	20-Jun-88	WBC-M-SC	PATNA	SH, MUNGER

2. यह नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रहीं है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों के सम्बन्ध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में संबंधित नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. योगदान के समय नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–3454, दिनांक–28.02.2024 के आलोक में नियमानुसार नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक–03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–7832(2), दिनांक–22.11.1995 के अनुसार नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की सेवा पूरी होने तक अथवा पैंतालीस वर्षों की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षों के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. उक्त नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित पदस्थापन स्थल/संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष अधिसूचना निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर योगदान समर्पित किया जाना अनिवार्य है।

9. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण–पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण–पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. उक्त सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन किया जायेगा एवं सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लिया जायेगा।

11. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।

12. जिन नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग/विभाग द्वारा आयोजित Counselling के समय यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, आवासीय/जाति प्रमाण–पत्र अथवा कोई अन्य वांछित प्रमाण–पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया गया हो, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण–पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।

13. सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित स्थल/संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के सभी प्रमाण–पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।

14. उक्त नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी में से यदि कोई पूर्व से बिहार राज्य के किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं तो वे नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करेंगें तथा प्रभार त्याग कर उसी दिन उच्चतर अध्ययन पूर्ण करने हेतु विरमित हो जायेंगें। उच्चतर अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त अविलंब अपना योगदान स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे। राज्य के बाहर किसी चिकित्सा महाविद्यालय एवं राज्य के अन्तर्गत निजी संस्थानों से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प संख्या–508(3), दिनांक–05.06.2026 लागू होगा।

15. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई पूर्व से बिहार राज्य के किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर पदों पर पदस्थापित/कार्यरत हैं तो वे भी नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान समर्पित कर प्रभार ग्रहण करेंगे तथा प्रभार त्याग कर बचे हुए टेन्योर अवधि पूर्ण करने हेतु उसी दिन विरमित भी हो जाएंगे। बचे हुए टेन्योर अवधि में वे बिहार स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी माने जायेंगे तथा उक्त अवधि में उन्हें पूर्व से प्राप्त हो रहे मानदेय/वेतन के स्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लिए निर्धारित वेतनमान (11वाँ स्तर) प्राप्त होगा। उक्त हेतु संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु विहित प्रपत्र में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को आवेदन दिया जाएगा। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे विधिवत विरमित होकर प्रभार त्याग करते हुए अविलंब अपना योगदान स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करेंगे। राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को छोड़कर शेष संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के रूप में कार्यरत नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प संख्या–508(3), दिनांक–05.06.2026 लागू होगा।

16. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई टेन्योर अवधि पूर्ण किये बिना ही नियमित सेवा में आना चाहते हैं, तो वे टेन्योर पद पर पदस्थापित संस्थान से विधिवत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में अपना योगदान समर्पित करेंगे।

17. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई विभागीय संकल्प संख्या–450(1), दिनांक–15.04.2017 एवं 1092(17), दिनांक–04.10.2025 के प्रावधानानुसार बंध–पत्र के अधीन अनिवार्य सेवा दिए जाने हेतु राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत हैं तो वे भी अपने पूर्व आवंटित संस्थान से विधिवत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान दे सकते हैं। बंधपत्र से आच्छादित अभ्यर्थियों को सेवा में योगदान की तिथि से बंधपत्र के अधीन शेष सेवा अवधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा। वे बंधपत्र की अवधि में त्याग पत्र नहीं दे सकते है।

18. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों में से यदि कोई पूर्व से बिहार स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नियमित सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के रुप में कार्यरत/पदस्थापित है तो वे पूर्व पदस्थापित स्थान से विधिवत विरमित होकर प्रभार त्याग करते हुए नव पदस्थापित स्थल/संस्थान में योगदान देंगे।

19. उक्त सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा, संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित करेंगे।

20. उक्त पदस्थापन के क्रम में अक्रियाशील संस्थान में अथवा अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में संबंधित नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों को विभाग में योगदान करने हेतु विरमित किया जाएगा।

21. इस अधिसूचना में किसी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि आदि में टंकण त्रुटि की स्थिति में अपेक्षित संशोधन हेतु विभागाध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना प्राधिकृत हैं।

22. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20/07/26

(त्यागराजन एस.एम.)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–2/नियुक्ति–07/2025–1689(2) /स्वा०, पटना, दिनांक–20/07/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यापालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट– state.bihar.gov.in/health पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि :– श्री अमित कुमार, डाटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/07/26

सरकार के विशेष सचिव।